तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजू बनाम कैलाश **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/343**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.23	अपीलार्थी की ओर से श्री सचिन शर्मा एडवोकेट ने अपना वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो करने प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट लोक अदालत की भावना से उक्त प्रकरण को विड्रो करना चाहता है तथा उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है। इसलिये अपीलार्थी के उक्त प्रकरण को न्यायहित में विड्रो किये जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त पत्रावली को विड्रो के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को लोक अदालत की भावना से विड्रो करना चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में उक्त अपील को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट विड्रो/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	